राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	3333/2024 गिरधारी लाल गुर्जर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय), अलवर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक (मुख्यालय), कोटपूतली बहरोड़। 6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, जालौर।	18.11.2024	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
2.	3334/2024 महेश चन्द्र	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू। 5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक (मुख्यालय), झुंझुनू। 6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, जालौर।		

आदेश की दिनांक : 20.11.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3333/2024 गिरधारी लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ब्लॉक साचोर, जिला जालौर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की

प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 31.03.1997 के द्वारा हुई थी और उसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ब्लॉक साचोर, जिला जालौर पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को ग्रीष्मावकाश होने के कारण उस अवधि का वेतन देने से मना कर दिया गया और ग्रीष्मावकाश उपरांत अपीलार्थी को दिनांक 31.05.1998 को सेवा से हटाते हुये पुनः आदेश दिनांक 25.06.1997 के द्वारा कार्यग्रहण करवाया। तदुपरांत उसे वेतन श्रृंखला रूपये 1200–2050 प्रदान की गई और 10 वर्ष पश्चात् अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया और इस प्रकार अपीलार्थी की सेवाओ की गणना दिनांक 01.07.1998 से की गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी ग्रीष्मावकाश अवधि से पूर्व कार्यग्रहण दिनांक से ही उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त मामले के समान वाले प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 555/2003 जोरावर सिंह बनाम राजस्थान राज्य में आदेश पारित किया गया, जिसमें उक्त मामले को स्वीकार किया गया तथा प्रार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करते हुये समस्त लाभ दिये जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी भी प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही समस्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभों से वंचित रखा गया, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, परंतु उसके अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वरिष्ठता, पदोन्नति एवं वेतन आदि ग्रीष्मावकाश अवधि की गणना करते हुये प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही समस्त लाभ प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ब्लॉक साचोर, जिला जालौर में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित दोनों अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 3333/2024 गिरधारी लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 3334/2024 महेश चन्द्र में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य